HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16292/2026
CNR: RJHC020997492026 | URN: CRLMB / 30124U / 2026

Raksha Malkani D/o Sh. Rajesh Malkani, Aged About 31 Years, R/o Poonam Residency, A Block Meera Road, East Thane Mumbai, Maharashtra, At Present R/o Flat No. 402, Ddcl Apartment Shakti Vihar, Muhana Mandi, Police Station Muhana, Jaipur. (At Present Confined In Central Jail Jaipur)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16874/2026
CNR: RJHC021006142026 | URN: CRLMB / 31133U / 2026

Hemant Pathak S/o Jugal Kishor Pathak, Aged About 23 Years, R/o Plot No. 29, Near Indo International School, Mahapura, Police Station Bhankrota, Jaipur. (At Present In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vikash Kumar Jakhar Mr. Chandra Mohan Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

28/10/2026

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना जवाहार सर्किल, जिला जयपुर शहर पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 269/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2),

140(2), 309(6), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु ये दो पृथक–पृथक प्रार्थनापत्र पेश किए गए हैं।

दोनों प्रार्थना पत्र एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही आदेश से किया जा रहा है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया–अभियुक्ता **रक्षा मलकानी** का तर्क है कि प्रार्थिया को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थिया महिला है। उनका तर्क है कि प्रार्थिया का अपने पति और अन्य व्यक्तियों के साथ उनके वाहन में जाना बताया है। उनका तर्क है कि ऐसी स्थिति में दिन के 11 बजे जगतपुरा स्टेशन के पास इस प्रकार की घटना कारित किया जाना संभव ही नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थिया का पति सहअभियुक्त हेमंत और परिवादी एक ही कंपनी में कार्यरत हैं और आपस में परिचित हैं। उनका तर्क है कि वास्तविकता में सहअभियुक्त हेमंत परिवादी से पैसे मांगता था, इसलिए यह मिथ्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थिया और अन्य अभियुक्त पर जो आक्षेप लगाए गए हैं, वह 15,000/– रुपये नकद और 2,500/– रुपये मोबाईल से अंतरण करने के लगाये गये हैं। उनका तर्क है कि उक्त राशि में से प्रार्थिया के खाते में किसी प्रकार की कोई राशि हस्तांतरित नहीं हुई है। प्रार्थिया दिनांक 24.09.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त **हेमन्त पाठक** का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि परिवादी और प्रार्थी–अभियुक्त आपस में परिचित थे और वाहन में बैठे अन्य व्यक्ति भी परिचित थे। उनका तर्क है कि मामला 15,000/– रुपये नकद और 2,500/– रुपये ऑनलाईन अंतरण से संबंधित है। उनका तर्क है कि सुबह 11 बजे जगतपुरा स्टेशन जैसे स्थान पर इस प्रकार की घटना कारित होने की कोई संभावना नहीं है। उनका तर्क है कि आपसी पैसे के विवाद के कारण यह मिथ्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रार्थी दिनांक 24.09.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्तगण, जो कि वाहन में जा रहे थे, उन्होंने परिवादी से रास्ता पूछा और इस बहाने परिवादी को लिफ्ट दी तथा 15,000/– रुपये छीन लिए और दो बार में 1,500/– रुपये व 1,000/– रुपये अपने खाते में जबरन अंतरित कर मारपीट करी। इसके साथ ही प्रार्थीगण द्वारा परिवादी का मोबाईल लूट कर ले गए तथा उसके साथ मारपीट भी की। उनका तर्क है कि आहत के चोट प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि परिवादी को खरौंचें आई हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थिया **रक्षा** के विरुद्ध पूर्व के दो आपराधिक प्रकरण पीटा एक्ट और आर्म्स एक्ट से संबंधति संस्थित है तथा प्रार्थी **हेमन्त** के विरुद्ध पूर्व के पांच आपराधिक प्रकरण धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 140(2), 309(4), 307, 119(1) भारतीय न्याय संहिता से संबंधित संस्थित हैं। अतः जमानत प्रार्थना–पत्रों को निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 115(2), 126(2), 140(2), 309(6), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पर परिवादी को रोककर रास्ता पूछने और परिवादी को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाने के पश्चात् परिवादी से 15,000/– रुपये नकद छीनने और मोबाईल से दो बार में 1,500/– रुपये व 1,000/– रुपये अपने खाते में मारपीट कर जबरन अंतरित करने, परिवादी का मोबाईल लूटने व उसके साथ मारपीट करने के आक्षेप हैं।

प्रार्थिया **रक्षा** की ओर से यह बताया गया है कि वह सहअभियुक्त हेमन्त की पत्नी है और इस कारण वह उक्त गाड़ी में साथ थी, जबकि प्रार्थिया ने अनुसंधान के दौरान स्वयं का विवाह राहुल के साथ होना बताया है और हेमन्त की पत्नी होना दर्शित नहीं किया है। प्रार्थिया–अभियुक्ता के विरुद्ध पूर्व के दो आपराधिक प्रकरण अपहरण कर बंदी बनाने, लूट, चोरी तथा पीटा एक्ट व आर्म्स एक्ट से संबंधित संस्थित हैं, जिनमें से एक प्रकरण इसी प्रकृति का है। **प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है।**

जहां तक प्रार्थी–अभियुक्त **हेमन्त** का प्रश्न है, उसके विरुद्ध पूर्व के पांच आपराधिक प्रकरण अपहरण कर बंदी बनाने, लूट, चोरी, आपराधिक षड़यंत्र रचने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने व गलत तरीके से रास्ता रोकने से संबंधित संस्थित हैं, जिससे प्रतीत

होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त आदतन अपराधी है और बार–बार जमानत के प्रावधानों का दुरुपयोग करता रहा है। **प्रकरण में अभी अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है।** उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

43-44/NIMIT GOYAL